उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या–F82601 /189/2016/ दिनांक 28/06/2016

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपरक वातावरण प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियों को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Best practices to improve the Business environment across states in India" विषय पर सभी राज्यों से उद्यम लगाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से अपेक्षा की गयी है कि विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को प्रदेश में भी लागू किया जाये। उक्त के अनुपालन में प्रदेश में उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ/उत्पादन क्षमता विस्तारीकरण/नये उत्पाद हेतु निर्गत किये जाने वाले सहमति (एन0ओ0सी0) के संबंध में पूर्व में निर्गत कार्य आदेशों का अतिक्रमण कर एतद्वारा निम्न व्यवस्था की जाती है :–

1. समस्त श्रेणी के उद्योगों को निर्गत किये जाने वाली स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की वैधता अवधि न्यूनतम ०५ वर्ष इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि जल व वायु अधिनियमों के प्राविधानों के तहत निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि ट्रायल उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि तक अथवा विलम्बतम ०५ वर्ष अवधि हेतु मान्य होगी।
2. यदि परियोजना की स्थापना अथवा प्रस्ताव का क्रियान्वयन उक्त अवधि में नहीं किया जाता है तो जल एवं वायु अधिनियम के तहत निर्गत स्थापनार्थ सहमति आदेश(एन०ओ०सी०) का auto-renewal मात्र एक बार ०२ वर्ष की अवधि हेतु अथवा ट्रायल उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि तक, जो तिथि पहले हो, तक मान्य होने की व्यवस्था उपलब्ध होगी।

उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत किया जा रहा है एवं यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

for सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल कार्यालय ज्ञाप को बोर्ड के अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
4. गार्ड फाइल।

for सदस्य सचिव